भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र
2 री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे मार्ग, चर्चगेट,
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फैक्स - 22086984
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

भारत सरकार
Government of India

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA
2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

21-ब(एक)1608

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/20/Govt/60938967/**Madhya Pradesh**/Ch.5/जा.सं. 900602 25/8/20

सेवा में,
1. सभी खजाना कार्यालय,

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-कोश भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय —**Grant of Dearness Relief @154% w.e.f. 01/01/2019 on Pension/Family pension of the Retired Judicial Officers of Madhya Pradesh State Govt.**

संदर्भ —**Govt. of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Dept. Bhopal, Order No.3(ए)19/2003/21–ब(एक)1608 dated 20/03/2019.**

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/4940 दिनांक 11/03/2020 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Retired Judicial Officers** सरकार **Madhya Pradesh** के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **<u>The said Orders have been uploaded on this office website.i.e.agmaha.cag.gov.in</u>**
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/20/Govt/60938967/Madhya Pradesh/Ch.5/जा.सं.
1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र**, **नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/4940 दि.11/03/2020.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21–ब(एक)1608 भोपाल, दिनांक 20.03.2019

प्रति

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

--

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 08.03.2019 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवां वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2019 से 148 से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. उक्त एरियर की राशि का भुगतान माह मार्च–2019 के वेतन से पूर्व नहीं किया जावेगा।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाए (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत का पुनरीक्षित दर लागू होगा।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2019 से पेंशन पर राहत 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 08.03.2019 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2019 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

28/3/19

D.A. Final Order-2018

पृ. फा.क्र.3(ए) 19/2003/21–ब(एक)/...... भोपाल, दिनांक 20.03.2019
26

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, ,
20. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल,
21. महानिदेशक, [illegible] अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल
22. लेखाधिकारी (म0एम0), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म0प्र0)
23. समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
24. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
25. आयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
30. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
32. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर मध्यप्रदेश,
33. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
34. इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
36. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल